

वेयर हाऊस (वस्तुओं का अभिरक्षण एवं देख रेख) विनियम, 2016  
अधिसूचना सं. 68/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 मई, 2016

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 57, धारा 58 और धारा 73क की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

**1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - इन विनियमों को वेयर हाऊस (वस्तुओं का अभिरक्षण एवं देख रेख) विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।

**2. परिभाषा** - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है।

(ख) "बंध पत्र अधिकारी" से अभिप्राय ऐसे सीमा शुल्क के अधिकारी से है जिसके प्रभार में यह वेयर हाऊस आता है।

(ग) "प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का नियंत्रक" से अभिप्राय ऐसे प्राधिकारी से है जिसकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत हुई हो।

(घ) "धारा" से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जो कि यहां तो प्रयोग किए गए हैं लेकिन परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही होगा जो कि इस अधिनियम में या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों में इनके लिए दिए गए हैं।

**3. वेयर हाऊस कीपर की नियुक्ति** - (1) लाइसेंसी इस विनियम के अंतर्गत अपनी ओर से काम करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को वेयर हाऊस कीपर के रूप में नियुक्त करेगा जिसको कि वेयर हाऊस के संचालन और सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं में पर्याप्त अनुभव हो।

(2) वेयर हाऊस कीपर इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत जरूरी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को भरने के लिए उन प्राधिकारियों से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिनको कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के नियंत्रक ने लाइसेंस दिया हो।

**4. सुविधाएं उपकरण और कर्मचारी -** (1) प्रत्येक लाइसेंसी उस वेयर हाऊस पर जिसके बारे में लाइसेंस जारी किया गया है, निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा,-

(क) ऐसी सुविधा, उपकरण और कर्मचारी जो कि वेयर हाऊस तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हों और वह इसमें वस्तुओं के सुरक्षित भण्डारण को सुनिश्चित करेगा, जिनमें शामिल हैं,-

- i. मजबूत निर्माण के लिए दरवाजे और अन्य भवन संबंधी घटक;
- ii. दरवाजे के लिए मजबूत ताले और खिड़कियां;
- iii. इसतरह के संकेत चिह्न जिससे पता चलता रहे कि यह स्थल या भवन सीमा शुल्क के अंतर्गत बंधक किया गया वेयर हाऊस है।

(ख) पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपकरण और स्थान जिससे कि सीमा शुल्क के अधिकारी वस्तुओं की जांच-परख कर सकें; और

(ग) वस्तुओं की प्राप्ति , भण्डारण, संचालन और उनको हटाने से संबंधित लेखा करण हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था।

**5. सीमा शुल्क केन्द्रों से वस्तुओं की प्राप्ति -** (1) वेयर हाऊस में वस्तुओं की प्राप्ति होने पर लाइसेंसी-

(क) कंटेनर या परिवहन के साधन, जैसा भी मामला हो, जिसके द्वारा माल को वेयर हाऊस में लाया गया हो, पर सीमा शुल्क केन्द्र के यथोचित अधिकारी द्वारा लगाए गए वन-टाइम-लॉक का सत्यापन करेगा।

(ख) यदि वन-टाइम-लॉक को सही नहीं पाया जाता है तो वह माल को उतरवाने से मना कर देगा और इसकी सूचना तत्काल बंध पत्र अधिकारी को दे देगा;

(ग) यदि वन-टाइम-लॉक ठीक-ठाक पाया जाता है तो वह आने वाले माल को उतरवाएगा और उसकी मात्रा का सत्यापन करेगा ऐसा वह वेयर हाऊस के आगम पत्र और बीजक के बीच मिलान करके करेगा;

(घ) यदि माल की मात्रा में कोई विसंगति आती है तो 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना बंधपत्र अधिकारी को देगा;

(ङ.) वेयर हाऊसिंग के उस आगत पत्र को पृष्ठांकित करेगा जिसके साथ 60 की उपधारा (1) में संदर्भित आदेश संलग्न होगा, साथ ही वह प्राप्त माल की मात्रा भी लिखेगा और एक प्रति अपने पास भी रख लेगा;

(च) माल को ले जाने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले परिवहन संबंधी कागजातों पर पृष्ठांकित करके माल की प्राप्ति की पावती देगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा और

(छ) प्राप्त माल को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगा।

(2) वेयर हाऊस में प्राप्त होने वाले माल को रिकॉर्ड में दर्ज करने के पश्चात लाइसेंसी धारा 60 की उपधारा (1) में संदर्भित अधिकारी को इसकी पावती भेजेगा तथा साथ ही साथ वेयर हाऊस में माल की प्राप्ति की रसीद बंध पत्र अधिकारी को भी भेजेगा।

**6. माल का एक वेयर हाऊस से दूसरे वेयर हाऊस में स्थानांतरण -** (1) लाइसेंसी धारा 67 के अंतर्गत बंधपत्र अधिकारी से माल को एक वेयर हाऊस से दूसरे वेयर हाऊस में स्थानांतरण किए जाने से संबंधित फार्म में अनुमति प्राप्त किए बिना माल को दूसरे वेयर हाऊस में स्थानांतरित नहीं करने देगा।

(2) जब कोई मालिक माल को एक वेयर हाऊस से दूसरे वेयर हाऊस में स्थानांतरण करने की बावत बंध पत्र अधिकारी के आदेश को प्रस्तुत करेगा तब लाइसेंसी,

(क) माल को वहां से हटाने देगा तथा उनको परिवहन के साधन में लादने देगा;

(ख) परिवहन के साधन पर वन-टाइम-लॉक लगाएगा

(ग) माल को एक वेयर हाऊस से दूसरे वेयर हाऊस में स्थानांतरण करने से संबंधित फार्म में इस वन-टाइम-लॉक की संख्या को अंकित करेगा तथा उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;

(घ) परिवहन के कागजातों पर भी वन-टाइम-लॉक की संख्या दर्ज करेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;

(ड.) माल को हटाए जाने का रिकॉर्ड रखेगा और

(च) रखे गए कागजातों की प्रतियां बंधपत्र अधिकारी के पास भिजवाएगा।

**7. दूसरे वेयर हाऊस से माल की प्राप्ति - (1) दूसरे वेयर हाऊस से माल की प्राप्ति पर, लाइसेंसी**

(क) कंटेनर या परिवहन के साधन जिसके द्वारा माल को वेयर हाऊस में लाया गया हो, पर सीमा शुल्क केन्द्र के यथोचित अधिकारी द्वारा लगाए गए वन-टाइम-लॉक का सत्यापन करेगा।

(ख) यदि वन-टाइम-लॉक को सही नहीं पाया जाता है तो वह माल को उतरवाने से मना कर देगा और इसकी सूचना तत्काल बंध पत्र अधिकारी को दे देगा;

(ग) यदि वन-टाइम-लॉक ठीक-ठाक पाया जाता है तो वह आने वाले माल को उतरवाएगा और उसकी मात्रा का सत्यापन करेगा ऐसा वह बंधपत्र अधिकारी के आदेशों वाले, वेयर हाऊस से वस्तुओं के अंतरण किए जाने वाले प्रपत्र के साथ मिलान करके करेगा;

(घ) यदि माल की मात्रा में कोई विसंगति आती है तो 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना बंधपत्र अधिकारी को देगा;

(ड.) वेयर हाऊसिंग के उस आगत पत्र को पृष्ठांकित करेगा साथ ही वह प्राप्त माल की मात्रा भी लिखेगा और एक प्रति अपने पास भी रख लेगा;

(च) माल को ले जाने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले परिवहन संबंधी कागजातों पर पृष्ठांकित करके माल की प्राप्ति की पावती देगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा;

(छ) प्राप्त माल को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगा; और

(ज) अपने पास रखे गए कागजातों की प्रतियां बंधपत्र अधिकारी को तथा उस वेयर हाऊस के वेयर हाऊस कीपर को जहां से माल प्राप्त हुआ है भिजवाएगा।

**8. घरेलू खपत के लिए वेयर हाऊस में रखे गए माल को हटाना -** (1) लाइसेंसी जब तक कि बंधपत्र अधिकारी से ऐसे माल को हटाने के लिए अनुमति प्राप्त न हो जाए, घरेलू खपत के लिए वेयर हाऊस से वस्तुओं को हटाने की अनुमति नहीं देगा।

(2) माल के मालिक द्वारा धारा 68 के अंतर्गत यथोचित अधिकारी से प्राप्त आदेश को प्रस्तुत करने पर, बंधपत्र अधिकारी माल को हटाने की अनुमति देगा और लाइसेंसी-

(क) वस्तुओं के मालिक को घरेलू खपत के लिए आगम पत्र में उल्लिखित मात्रा में वस्तुओं को देगा; और इस प्रकार दिए गए माल को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगा;

(ख) हटाई गई वस्तुओं का रिकॉर्ड रखेगा।

**9. निर्यात के लिए वेयर हाऊस में रखे गए माल को हटाना -** (1) लाइसेंसी जब तक कि बंधपत्र अधिकारी से ऐसे माल को हटाने के लिए अनुमति प्राप्त न हो जाए, निर्यात के लिए वेयर हाऊस से वस्तुओं को हटाने की अनुमति नहीं देगा जब तक धारा 69 के अंतर्गत समुचित अधिकारी द्वारा आदेश न कर दिया गया हो।

(2) बंधपत्र अधिकारी के द्वारा वस्तुओं के वेयर हाऊस से हटाने के लिए अनुमति दिए जाने पर लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी की उपस्थिति में माल को परिवहन के साधन पर लदवाएगा और परिवहन के साधन पर वन-टाइम-लॉक लगाएगा।

**10. वेयर हाऊस में रखे गए माल से संबंधित प्रचालन-** प्रत्येक लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि वेयर हाऊस में रखे गए माल का, धारा 64 या धारा 65 में अनुज्ञेय प्रचालन कार्यों के दौरान तथा उसके समय को छोड़कर, कोई तोड़-फोड़, फेर बदल या प्रसंस्करण या उसका अन्य कोई प्रयोग न किया जाए।

**11. वेयर हाऊस में रखे गए वस्तुओं से संबंधित कागजातों का रख-रखाव -** (1) प्रत्येक लाइसेंसी,-

(क) माल के वेयर हाऊस में प्राप्त करने, देख रेख करने भण्डारण करने या वहां से हटाने, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड रखेगा और उसे जब भी जरूरी हो बंधपत्र अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ख) वेयर हाऊस में रखे गए वस्तुओं से संबंधित किए गए प्रत्येक कार्य, प्रचालन और कार्रवाई का रिकॉर्ड रखेगा

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत तथा उसमें लागू किसी भी कानून के अंतर्गत वेयर हाऊस में रखे गए माल से लिए गए नमूनों का रिकॉर्ड रखेगा;

(घ) आगम पत्र, परिवहन दस्तावेज, एक वेयर हाऊस से माल स्थानांतरण संबंधित फार्म, शिपिंग बिल या निर्यात बिल या अन्य कोई कागजात, जिससे कि वेयर हाऊस में माल को लाने या वहां से हटाने का साक्ष्य साबित हो, की प्रतियां और धारा 59 के अंतर्गत जारी किए गए बंध पत्र की प्रतियां भी संभाल कर रखेगा।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत रखे जाने वाले जरूरी सभी कागजातों और बहीखातों को अद्यतन तथा उसे शुद्ध रखेगा उसे तथा माल के वेयर हाऊस से हटाए जाने की तारीख से कम से कम 5 वर्ष तक सुरक्षित रखेगा, और किसी भी समय बंधपत्र अधिकारी के द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण या उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत किसी अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

(3) लाइसेंसी वेयर हाऊस के अलावा अन्य किसी स्थल पर भी उप विनियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट डिजिटल रूप को अद्यतन रूप में सुरक्षित रखेगा जिससे कि यदि प्राकृतिक आपदा, आग, चोरी, जानबूझ कर की गई छेड़छाड़ या कम्प्यूटर के खराब हो जाने पर भी बचाया जा सके।

(4) लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी को वेयर हाऊस में माल के आने, उसका भण्डारण करने प्रचालन या वहां से हटाए जाने से संबंधित मासिक विवरणी को एक विशिष्ट फार्म में तथा इस रिटर्न से संबंधित महीने के समाप्त होने के 10 दिन के भीतर प्रस्तुत किया करेगा।

(5) जहां कि इस अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत वेयर हाऊस में रखे गए माल की अवधि किसी निश्चित महीने में समाप्त हो रही है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक लाइसेंसी बंधपत्र अधिकारी

को हर महीने की 10 तारीख या इससे पहले की तारीख को वेयर हाऊस में रखे गए माल के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

**12. दण्ड** - यदि कोई लाइसेंसी इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उकसाता है या ऐसे प्रावधान का अनुपालन करने में असफल रहता है, वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दण्ड का भागी होगा।

**13. छूट देने की शक्ति** - बोर्ड वस्तुओं की प्रकृति, उनके परिवहन के तरीके या भण्डारण को देखते हुए किसी श्रेणी की वस्तुओं के मामले में इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों से छूट दी जा सकती है।

**14. मौजूदा वेयर हाऊसों द्वारा विनियमों की अनुपालना** - वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) के प्रारंभ होने से तत्काल पूर्व धारा 57 अथवा धारा 58 के अंतर्गत निर्धारित कोई सार्वजनिक वेयर हाऊस इन विनियमों के अंतर्गत इन विनियमों के शुरू होने की तारीख के 3 माह के भीतर वैध होगा।

(2) उप-विनियम (1) के अनुपालन किए जाने के पश्चात बंधपत्र अधिकारी सीमा शुल्क के ताले को हटवा देगा।